न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं. 62/21 सरकार तहसीलदार मण्डावर बनाम पटवारी हल्का गढहिम्मतसिंह
किस्म मुकदमा – धारा 131 भू राजस्व राज. अधिनियमअधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-12-21	आज यह प्रस्ताव प्रशासन गांवो के संग अभियान के अन्तर्गत कैम्प ग्राम पंचायत गढहिम्मतसिहं में तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.भि.) नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60 एवं 66, 86 के अन्तर्गत इस आशय का प्रकरण प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नंबर 318 स्थित ग्राम गढहिम्मतसिह तहसील मण्डावर जिला दौसा जिस पर मौके पर सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है एवं रास्ते के उपयोग में आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित नही है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नही है। तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सार्वजनिक रास्ता के रूप में उपयोग में आ रही भूमि को नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु निवेदन किया है। उक्त प्रस्तावित भूमि के निजी खातेदारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09.12.2021 को नोटिस जारी कर दिनांक 15.12. 2021 को न्यायालय में बुलाया गय परन्तु उक्त तिथि को किसी भी निजी खातेदारान द्वारा अपना कोई पक्ष/जवाब/सहमति नही दी। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उक्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि निजी खातेदारान की है एव पक्षकारान/ निजी खातेदारान द्वारा प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु अपना कोई पक्ष नही रखा। बिना निजी खातेदार की सहमति के उसकी खातेदारी से रास्ता दिया जाना संभव नही है। अतः तहसीलदार..मण्डावर.. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को खातेदारान की प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु सहमति नही होने के कारण खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा)	